संख्या: 36/2020/1521/सत्रह-म-2020-6-9 (2)/19

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 09 दिसम्बर, 2020

विषय वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2268.712 के सापेक्ष अवशेष/ पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 1434.5509 लाख में से निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 1140.416 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 742.384 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1124 /नि0शा0/2020-21/16-19(6) दिनांक 10 नवम्बर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु अवमुक्त केन्द्रांश 2268.712 के सापेक्ष अवशेष/पुनर्वैध केन्द्रांश में से निर्गत किये जा चुके केन्द्रांश रू0 1140.416 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 742.384 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु कुल रू0 9624.94 लाख की परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-1203113/48/2017-एफवाई-।। दिनांक 09.12.2019 द्वारा प्रदान की गयी थी, जिसमें कुल अनुदान रू0 5059.64 लाख (केन्द्रांश रू0 2983.79 लाख +राज्यांश रू0 2075.85 लाख) तथा लाभार्थी अंश रू0 4565.30 लाख सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या-जे-1203113/48/2017-एफवाई-।। दिनांक 09.12.2019 के माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामान्य मद हेतु रू0 2268.712 लाख का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में संदर्भित योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन में कुल रू0 5000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत सामान्य मद हेतु अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत सम्पूर्ण वांछित बजट व्यवस्था न होने के कारण मात्र कुल रू0 2043.279 लाख (केन्द्रांश रू0 1157.593 लाख +राज्यांश रू0 885.686 लाख) की वित्तीय स्वीकृति ही निर्गत की जा सकी थी,

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिसमें से दिनांक 31.03.2020 तक मात्र रू0 1513.3585 लाख (केन्द्रांश रू0 834.1611लाख +राज्यांश रू0 679.1974लाख) की धनराशि ही व्यय हो सकी तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गयी।

4- भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजना के लिए सामान्य मद में कुल अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2268.712 लाख में से अप्रयुक्त /अवशेष केन्द्रांश रू0 1434.5509 लाख (रू0 2268.712 - रू0 834.1611लाख) को अपने पत्र संख्या- जे-18001/1/2017-एफ0वाई0दिनांक 23.04.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है।

5- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत सामान्य मद में वित्तीय वर्ष 2019-20(कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु अवमुक्त केन्द्रांश 2268.712 के सापेक्ष अप्रयुक्त/ पुनर्वैध केन्द्रांश 1434.5509 लाख में से निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 1140.416 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 742.384 (रू0 सात करोड बयालीस लाख अडतीस हजार चार सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न तालिकानुसार 16 परियोजनाओं / मदों हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या- 2/2018 /2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग- निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षकों में जमा कराने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(4) विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेण्डर /जेम पोर्टल विषयक दिशा- निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार निर्माण,अवस्थापना क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा सक्षम तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करना निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी का दायित्व होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दि0 24.03.2020,पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020, पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 एवं पत्र संख्या- बी-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) भारत सरकार के पत्रांक जे0-18001/1/2017- एफवाई, दिनांक 23.04.2020 के प्रस्तर- 3(।।) के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(11) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

6- उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ (यू0पी0एम0एफ0डी0सी0) हेतु संलग्न तालिका के प्रस्तर-4 की तालिका के क्रमांक-(16) पर अंकित परियोजनाओं हेतु तथा उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0,लखनऊ (यू0पी0 एम0जे0 एस0एस0) को क्रमांक- (7) में अंकित परियोजनाओं हेतु निर्गत की जा रही धनराशि को निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार आहरण कर निर्धारित प्रक्रियानुसार उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ एवं उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

7- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दि0 24.03.2020,पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- 973/ ई-1-दस-2020, दिनांक:07 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(एस0एम0ए0रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या- 36/2020/ 1521(1)/ सत्रह-म-2020 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
6- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

तालिका

शासनादेश संख्या: 36 /2020/1521/सत्रह-म-2020-6-9 (2)/20 दिनांक 09 दिसम्बर,2020 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम / श्रेणी/ फण्डिंग पैटर्न (के0+रा0+ला0)	भौतिक ईकाई (सं0/ हे0)	इकाई लागत	परियोजना लागत	अनुमन्य अनुदान	निर्गत होने वाली राज्यांश धनराशि (रू0 लाखमें)			अभ्युक्ति
						अवशेष/ पुनर्वेध केन्द्रांश के सापेक्ष निर्गत की जा चुकी केन्द्रांश धनराशि	राज्यांश	कुल धनराशि	
1	मध्यमाकार आर0ए0एस0 (सामान्य) (24%+16%+60%)	43	50.00	2150.00	860.00	180.00	120.00	**120.00**	मत्स्य निदेशालय के पत्र संख्या-1124/ नि0 शा0/ 2020-21/ 16-19(6) दिनांक 10 नवम्बर,2020 द्वारा संलग्नक के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार विवरण/फांट के अनुसार
2	मध्यमाकार आर0ए0एस0 (महिला) (36%+24% +40%)	38	50.00	1900.00	1140.00	262.80	175.20	**175.20**	
3	कम लागत के आर0ए0एस0 (सामान्य) (24%+16% +60%)	18	15.00	270.00	108.00	25.20	16.80	**16.80**	
4	कम लागत के आर0ए0एस0 (महिला) (36%+24%+40%)	7	15.00	105.00	63.00	540.00	3.60	**3.60**	
5	आई0एम0सी0 तथा विशिष्ट कल्टीवेबल फिनफिश हेतु मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना सामान्य (सामान्य) (24%+16%+60%)	4	25.00	100.00	40.00	8.00	4.00	**4.00**	
6	आई0एम0सी0 तथा विशिष्ट कल्टीवेबल फिनफिश हेतु मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना (महिला) (36%+24%+40%)	3	25.00	75.00	45.00	5.40	3.60	**3.60**	
7	फिश सीड रियरिंग यूनिट (यू0पी0एम0जे0एस0एस0) (50:50:00)	3	6.00	18.00	18.00	4.50	4.50	**4.50**	
8	नये तालाबों का निर्माण (सामान्य) (24%+16%+60%)	200	7.00	1400.00	560.00	124.666	83.104	**83.104**	
9	नये तालाबों का निर्माण (महिला) (36%+24%+40%)	60	7.00	420.00	252.00	151.20	100.80	**100.80**	
10	नये तालाबों के निर्माण पर निवेश (सामान्य) (24%+16%+60%)	200	1.50	300.00	120.00	72.00	48.00	**48.00**	
	नये तालाबों के निर्माण पर निवेश (महिला) (36%+24%+40%)	60	1.50	90.00	54.00	32.40	21.60	**21.60**	
11	नये तालाबों का निर्माण (जलीय कृषि के लिए अन्तर्देशीय खारा पानी का उत्पादक उपयोग) सामान्य (24%+16%+60%)	10	7.00	70.00	28.00	6.72	4.48	**4.48**	

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

12	ताजे पानी में झींगा कल्चर के लिए इनपुट लागत (सामान्य) (24%+16%+60%)	10	2.50	25.00	10.00	6.00	4.00	**4.00**	
13	जलाशयों तथा अन्य खुले जल क्षेत्रों में केज पेन की स्थापना (सामान्य) (24%+16%+60%)	260	3.00	780.00	312.00	122.98	81.98	**81.98**	
14	स्माल फीड मिल सामान्य (24%+16%+60%)	21	10.00	210.00	84.00	5.28	3.52	**3.52**	
15	स्माल फीड मिल (महिला) (36%+24%+40%)	16	10.00	160.00	96.00	10.80	7.20	**7.20**	
16	कम लागत के आर0ए0एस0 (यू0पी0एफ0डी0सी0) (24%+16%+60%)	16	15.00	240.00	240.00	60.00	60.00	**60.00**	
	योग -			9127.04	4726.14	1083.346	742.384	**742.384**	
17	प्रशासकीय व्यय **(03 प्रतिशत केन्द्रांश का)**		100.00	86.90	86.90	57.07	0.00	**0.00**	
	कुल योग -			9213.94	4813.04	1140.416	**742.384**	**742.384**	

(रू0 सात करोड बयालीस लाख अडतीस हजार चार सौ मात्र)

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव ।

http:// shasnadesh up nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।